(12)

168

संख्या- 597/15-7-94-1611451/92

प्रेषक,

श्री अशोक गांगुली,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र, 2 सामुदायिक केन्द्र,
प्रीति विहार,
नई दिल्ली ।

शिक्षा (7) अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 15 मार्च, 1994

विषय:- लखनऊ पब्लिक स्कूल, सेक्टर डी, एल०डी०ए० कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ को सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लखनऊ पब्लिक स्कूल, कानपुर रोड, लखनऊ को सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन कोई आपत्ति नहीं है :-

(1) यह विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा हाईस्कूल तक मान्यता प्राप्त पूर्व से ही संचालित है । इस संबंध में एक अनुबंध पत्र विद्यालय द्वारा राज्य सरकार को दिया गया है कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त होने पर माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से प्राप्त मान्यता निरस्त हो जायेगी । प्रश्नगत संस्था को सम्बद्धता दिये जाने के पूर्व आप द्वारा कृपया यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से विद्यालय को प्राप्त हाईस्कूल की मान्यता समाप्त/प्रत्याहरित हो गयी है तथा विद्यालय के परिसर में केवल सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त विद्यालय ही संचालित है ।

2- उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तें भी विद्यालय पर लागू होंगी :-

(1) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।

(2) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।

(3) विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।

Manager
Lucknow Public School
Lucknow.

SArora

PRINCIPAL
LUCKNOW PUBLIC SCHOOL
SECTOR-D, LDA COLONY
KANPUR ROAD, LUCKNOW

LPS ™
MANAGER
LUCKNOW PUBLIC SCHOOL
LUCKNOW

(14) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से/बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इंडियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन्, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।

(15) संस्था शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

(16) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

(17) राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।

(18) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।

(19) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है या उनका पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(अशोक गांगुली)
उप सचिव।

पृ०सं० 567(1)/15-7-94-16(145)/92 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, लखनऊ।
3- जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ।
4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- प्रबन्धक, लखनऊ पब्लिक स्कूल, सेक्टर डी, एल०डी०ए० कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ।

आज्ञा से,

(अशोक गांगुली)
उप सचिव।

Manager Lucknow Public School, Lucknow.

PRINCIPAL
LUCKNOW PUBLIC SCHOOL
SECTOR-D, LDA COLONY
KANPUR ROAD, LUCKNOW

LPS ™
MANAGER
LUCKNOW PUBLIC SCHOOL
LUCKNOW